प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **33/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Pradeep Tripathi Add: 04, Govind Nagar, Hiran Magri, Sector-13, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329374082986431 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7967319453 दिनांक 04.03.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/33/25/238–39 दिनांक 04.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर ने जरिये पत्राक एफ()सनिलोस/आरटीआई/2023/749 दिनांक 10.03.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमांक 329472872171240 दिनांक 22.01.2025 द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई 19.12.2024 में प्रस्तुत परिवाद क्रमांक 101 तथा ऑनलाईन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 329575479682152 दिनांक 27.01.25 द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई 19.09.2024 में प्रस्तुत परिवाद क्रमांक 39 पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई है। उक्त दोनों परिवाद नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण को कार्यालय के पत्रांक 491 दिनांक 23.09.2024 द्वारा प्रेषित किया गये थे। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 05.02.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित अधिकारी को अंतरण कर दिया गया था। जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई थी। अतः उक्त अपील कार्यालय से संबंधित नहीं होने से निरस्त करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

6(3) के अन्तर्गत आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई। सहायक लोक सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर